भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 930

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर

930. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :
श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक कितने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित/संचालित किए गए हैं और गुजरात सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक जिले में ओएससी स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केंद्रों से अब तक कितनी संकटग्रस्त महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है और वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का भविष्य में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक ओएससी की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता/समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से ओएससी कार्यान्वित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के तहत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को

एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करता है। यह ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी **सेवाएं** प्रदान करता है। गुजरात सहित देश भर के प्रत्येक ज़िले में अबतक 975 अनुमोदित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में से 843 ओएससी कार्यशील हैं और उन्होंने शुरुआत से, अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2025 तक 11.94 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। गुजरात सहित देश भर में अनुमोदित, कार्यशील ओएससी और सहायता प्राप्त महिलाओं की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड वर्ष में एक बार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

*****

अनुलग्नक

'वन स्टॉप सेंटर' के संबंध में श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे और श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम द्वारा दिनांक 25.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के भाग (क) से (च) के सन्दर्भ में उल्लिखित अनुलग्नक

30.06.2025 तक गुजरात सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित, कार्यशील ओएससी और सहायता प्राप्त महिलाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित ओएससी	कार्यशील ओएससी	शुरुआत से (अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2025 तक)सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या
1	अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह	3	3	2124
2	आंध्र प्रदेश	26	26	44727
3	अरुणाचल प्रदेश	27	25	2601
4	असम	36	36	29270
5	बिहार	65	39	45766
6	चंडीगढ़	1	1	2013
7	छत्तीसगढ़	42	29	50122
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	3	1394
9	दिल्ली	22	11	34119
10	गोवा	2	2	7134
11	गुजरात	36	35	43475
12	हरियाणा	22	22	50692
13	हिमाचल प्रदेश	13	13	4515
14	जम्मू और कश्मीर	23	20	16174
15	झारखंड	35	24	6255
16	कर्नाटक	40	40	34469
17	केरल	16	14	23456
18	लद्दाख	2	2	136
19	लक्षद्वीप	1	1	0
20	मध्य प्रदेश	65	57	124684
21	महाराष्ट्र	55	55	38734
22	मणिपुर	16	16	2059
23	मेघालय	13	12	4638

24	मिजोरम	13	13	2880
25	नागालैंड	17	11	1583
26	ओडिशा	32	30	38606
27	पुद्दुचेरी	4	4	563
28	पंजाब	23	23	23494
29	राजस्थान	52	43	53191
30	सिक्किम	6	6	2031
31	तमिलनाडु	59	49	123215
32	तेलंगाना	36	36	76779
33	त्रिपुरा	10	8	1490
34	उत्तर प्रदेश	121	96	285010
35	उत्तराखंड	14	14	9923
36	पश्चिम बंगाल	24	24	7504
	कुल	**975**	**843**	**1194826**

****